कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांकः–.....895...../आ0, दिनांक–...10/3/17

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **औरंगाबाद जिला अन्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1222/खाद्य, दिनांक–08.03.2017 एवं विभागीय अधिसूचना जी0एस0आर0 03 दिनांक–14.03.2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक--2312 दिनांक–15.02.2016 द्वारा लागू महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–502 दिनांक–02.11.2002 के द्वारा लागू दिव्यांग के लिए 03 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन करते हुये रिक्त जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से अनुमण्डल कार्यालय, औरंगाबाद एवं दाउदनगर, जिला–औरंगबाद में 15 दिनों के अन्दर प्राप्त किया जाना है। विज्ञापन सूचना प्रारूप इस अग्रसारण पत्र के साथ चार प्रति हॉर्ड कॉपी एवं एक प्रति सॉफ्ट कॉपी संलग्न कर हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन सूचना का प्रकाशन स्थानीय न्यूनतम दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथापरोक्त।

विश्वासभाजन

10/3

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

समाहरणालय, औरंगाबाद।

(आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन संख्या 01/2017

अत्यावश्यक सूचना

"बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों के आलोक में औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद एवं दाउदनगर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखंडो के ग्राम पंचायतों में जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत औरंगाबाद अनुमण्डल में 149 तथा दाउदनगर अनुमण्डल में 90 कुल 239 उचित मूल्य की दुकानों की अनुमान्य रिक्तियों को भरने के लिए यथा आरक्षण स्थिति के सुयोग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से विहित प्रपत्र–अनुसूची–01(व्यक्तियों के लिए) एवं 02 (स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ) में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पंचायतवार रिक्तियों एवं उनसे संबंधित आरक्षण प्राथमिकताएँ तथा निरर्हताएँ निम्न प्रकार है:–

1. **आरक्षण:–**

उचित मूल्य की दुकान की रिक्तियों में आरक्षण निम्न प्रकार होगा :–

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	01 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	12 प्रतिशत
पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	03 प्रतिशत

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक– 15.02.2016 के अनुसार आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

2. यदि अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एंव तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (Vice Versa) द्वारा भरा जायेगा।
3. नियुक्ति में आरक्षण देने सम्बधी सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–502 दिनांक–02.11.2002 द्वारा निर्गत आदर्श रोस्टर के आलोक में दिव्यांग के लिए 100 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर में रोस्टर बिन्दु 1 से 33, 34 से 67 एवं 68 से 100 तक में तीन समूह माने जायेंगे तथा प्रत्येक समूह में एक–एक दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेंगे।
4. पिछड़े वर्ग की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलायें शामिल मानी जायेंगी।
5. आरक्षण का मानक अनुमण्डल स्तर पर लागू होगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत आदर्श आरक्षण रोस्टर बिन्दु लागू होगा।
6. उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकतायें

अनुकम्पा मामले को छोड़कर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रूप में होगी:–

(क) स्वयं सहायता समूह,

(ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ,

(ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ,

(घ) शिक्षित बेरोजगार,

(ड.) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

7. स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।

8. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परन्तु कम्पयूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

9. अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्व सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे, एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा, और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

10. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।

11. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ

(क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

(ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पाषर्द, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

(ग) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(ड.) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

(च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

12. <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :-</u>

(क) आवेदन निर्धारित प्रपत्र-01 A4 आकार (210X297 मि0मी0) के मोटे कागज पर मुद्रित/कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग टंकित हस्त लिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ख) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाईंट पेन से साफ साफ भरी जाय। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हीं हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओभराईटिंग नहीं हो।

(ग) आवेदन पत्र के साथ आवेदक का हाल में खीचा हुआ दो रंगीन फोटोग्राफ संलग्न होना चाहिए फोटोग्राफ के पीछे (सादे हिस्से में) आवेदक को अपना पूर्ण विवरण अंकित कर अपना हस्ताक्षर कर देना चाहिए।

(घ) आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक, उम्र जाति (आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले मामलों में) आवासीय, आचरण प्रमाण पत्र आदि का छायाप्रति संलग्न की जाय तथा उस पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर तिथि सहित किया जायेगा।

(ड.) आवेदन पत्र के साथ 16 X10 से0मी0 का स्वपता लिखित रू0 10/– का डाक टिकट युक्त एक लिफाफा संलग्न किया जाय ताकि संदर्भित कोई सूचना आवेदक को भेजी जा सके।

(च) आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि भुगतेय नहीं है।

(छ) अपूर्ण हस्ताक्षरित/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें।

(ज) जिन व्यक्तियों/संस्था द्वारा जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की नई दुकान हेतु पूर्व में कभी आवेदन पत्र दिया गया हो उन्हें भी उपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार नये सिरे से आवेदन विहित प्रपत्र में भरना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व में दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. **आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि**

(क) पूर्णरूपण भरे हुए आवेदन पत्रों को अनुमंडल कार्यालय, औरंगाबाद एवं दाउदनगर में **अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन होने के तिथि से 15 दिनों के अन्दर ही मान्य होगा।** अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। **आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त किये जायेगे।** लिफाफा के उपर विज्ञापन संख्या एवं उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र'' लिखा होना अनिवार्य है।

(ख) यदि डाक सेवा विलंब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अनुमंडल कार्यालय में निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होगा तो वैसे आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए अनुमंडल कार्यालय, औरंगाबाद/दाउदनगर कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

(ग) अनुमंडल पदाधिकारी सहित किसी भी पदाधिकारी के ई–मेल से प्राप्त आवेदन पत्र पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।

14. **पूर्व में दिनांक 12/06/2015 को प्रकाशित विज्ञापन को एवं विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्र को रद्द किया जाता है।**

15. औरंगाबाद अनुमण्डल तथा दाउदनगर का रिक्ति संलग्न है।

16. रिक्तियों का विवरण, आरक्षण स्थिति, प्राथमिकताएँ आर्हता/अनहर्ता आदि के संबंध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन पत्र का नमूना अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित है, जिसके अनुरूप आवेदन पत्र दाखिल किया जा सकता है।

17. एन0आई0सी0, औरंगाबाद के वेबसाईट पर भी सूचना अपलोड है।

10/

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद।

अनुमण्डल स्तर पर कुल कोटिवार उपलब्ध नवीन रिक्ति

क्र0सं0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	रिक्ति की सं0	आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5
1	बारूण	पीपरा	1	1.अना०
2		धनगाई	3	2. अ०पि०व० 3. अना० महिला 4. अनुजाति
3		गोठौली	2	5. अना० 6. पि0व0
4		काजीचक	1	7. अना0
5		पौथू	1	8. अ०पि०व० महिला
6		टेंगरा	1	9. अना0 महिला
7		मेह	2	10. अनुजाति महिला 11. अना0
8		दुधार	1	12. पि0व0 महिला
9	औरंगाबाद	पड़रावा	2	13. अना0 14. अ0पि0व0
10		कर्मा भगवान	1	15. अना0 महिला
11		कुरम्हा	3	16. अनु0 जाति 17. अना0 18. पि0व0
12		फेसर	1	19. अना0
13		परसडीह	2	20. अ0 पि0 व0 21. अना0 महिला
14		बेला	2	22. पि0व0 23. अना0
15		पोईवां	1	24. अनु0 जाति महिला
16	औरंगाबाद नगर परिषद	वार्ड नं0 1 न0प0 औरंगाबाद	1	25. अना0
17		वार्ड नं0 3 न0प0 औरंगाबाद	1	26. अ0पि0व0 महिला
18		वार्ड नं0 5 न0प0 औरंगाबाद	1	27. अना0 महिला
19		वार्ड नं0 12 न0प0 औरंगाबाद	1	28. अनु0 जाति
20		वार्ड नं0 13 न0प0 औरंगाबाद	1	29. अना0
21	औरंगाबाद नगर परिषद	वार्ड नं0 14 न0प0 औरंगाबाद	4	30. पि0व0 31. अना0 32. अ0पि0व0 33. अना0 महिला
22		वार्ड नं0 18 न0प0 औरंगाबाद	1	34. अनु0 जाति
23		वार्ड नं0 20 न0प0 औरंगाबाद	1	35. अना0
24		वार्ड नं0 21 न0प0 औरंगाबाद	2	36. अ0पि0व0 37. अना0
25		वार्ड नं0 27 न0प0 औरंगाबाद	1	38. पि0व0 महिला
26		वार्ड नं0 28 न0प0 औरंगाबाद	1	39. अनारक्षित महिला

27		वार्ड नं0 31 न0प0 औरंगाबाद	1	40. अनु0जाति महिला
28		वार्ड नं0 32 न0प0 औरंगाबाद	1	41. अना0
29		वार्ड नं0 33 न0प0 औरंगाबाद	1	42. अ0पि0व0 महिला
30	रफीगंज	पौथू	2	43. अना0 44. अनु0 जनजाति
31		लट्टा	3	45. अना0 महिला 46. पि0व0 47. अना0
32		बौर	1	48. अनु0जाति
33		भेटनियां	1	49. अना0 महिला
34		पोगर	2	50. अ0पि0व0 51. अना0
35		कजपा	1	52. पि0व0
36		कोटवारा	2	53. अना0 54. अ0पि0व0
37		भदवा	1	55. अना0 महिला
38		मदुकी कला	2	56. अनु0 जाति 57. अना0
39	रफीगंज	चरकांवा	2	58. पि0व0 59. अना0
40		सिहुली	3	60. अ0पि0व0 महिला 61. अना0 महिला 62. अनु०जाति महिला
41		गोरडीहा	2	63. अना0 64. पि0व0 महिला
42		लोहरा	2	65. अना0 66. अ0पि0व0
43		चैंव	2	67. अना0 महिला 68. अनु0 जाति
44		बलार	2	69. अना0 70. अ0पि0व0
45	रफीगंज नगर पंचायत	वार्ड नं0 13 न0प0 रफीगंज	1	71. अना0
46		वार्ड नं0 15 न0प0 रफीगंज	1	72. पि0व0
47	मदनपुर	पीपरौरा	1	73. अना0 महिला
48		एरकी कला	2	74. अनु0 जाति 75. अना0
49		घोड़ा डिहरी	3	76. अ0पि0व0 महिला 77. अना0 78. अनु0जाति महिला
50		महुआंव	1	79. अना0 महिला
51		सलैया	4	80. पि0व0 81. अना0 82. अ0पि0व0 83. अना0
52		खिरियावां	2	84. पि0व0 85. अना0 महिला
53		बेरी	1	86. अनु0जाति
54		मदनपुर	3	87. अना0 88. अ0पि0व0 89. अना0

55		द0 उमगा	1	90. पि0व0 महिला
56		महुआंव	4	91. अना0 महिला 92. अनु0जाति 93. अना0 94. अ0पि0व0 महिला
57		अंकोरहा	3	95. अना0 96. पि0व0 97. अना0 महिला
58		सोनौरा	2	98.अनु0जाति महिला 99. अना0
59		सोरी	2	100. अ0पि0व0 महिला 101. अना0
60	नवीनगर	बैरिया	3	102. अ0पि0व0 103. अना0 महिला 104. अनु0जाति
61		सिमरी घमनी	2	105. अना0 106. पि0व0
62		कंकेर	4	107. अना0 108. अ0पि0व0 महिला 109. अना0 महिला 110. अनु0जाति महिला
63		केरका	2	111. अना0 112. पि0व0 महिला
64		मंझिआवां	2	113. अना0 114. अ0पि0व0
65		बेलाई	1	115. अना0 महिला
66		जयहिन्द तेन्दुआ	1	116. अनु0 जाति
67		रामपुर	1	117. अना0
68		पीपरा	1	118. पि0व0
69	नवीनगर	नाउर	2	119. अना0 120. अ0पि0व0
70		ठेंगो	2	121. अना0 महिला 122. पि0व0
71		मुंगिया	1	123. अना0
72		टण्डवा	1	124. अनु0जाति महिला
73		रामनगर	1	125. अना0
74	नवीनगर नगर पंचायत	वार्ड नं0 06 न0प0 नवीनगर	1	126. अ0पि0व0 महिला
75		वार्ड नं0 12 न0प0 नवीनगर	1	127. अना0 महिला
76		रिसियप	3	128. अनु0जाति 129. अना0 130. पि0व0
77		कर्मा बसंतपुर	1	131. अना0
78		डुमरा	1	132. अ0पि0व0
79		तेलहारा	1	133. अना0 महिला
80	कुटुम्बा	बैरांव	1	134.अनु0जाति
81		जगदीशपुर	1	135. अना0
82		सुही	3	136. अ0पि0व0 137. अना0 138. पि0व0 महिला
83		परता	2	139. अना0 महिला 140. अनु0जाति महिला
84		पवई	2	141. अना0 142. अ0पि0व0 महिला
85		सरगांवा	1	143. अना0
86	देव	बरण्डा रामपुर	1	144. अनु0जन जाति

87		प0 केताकी	2	145. अना0 महिला 146. पि0व0
88		पूर्वी केताकी	1	147. अना0
89		देव	2	148. अनु0जाति 149. अना0 महिला
कुल			**149**	

नोट :– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 502 दिनांक 02.11.2002 द्वारा निर्गत आदर्श रोस्टर के आलोक में दृष्टि दिब्याग के लिए रोस्टर बिन्दु 1 से 33 तक एक पद, मूक बधिर दिब्याग के लिए रोस्टर बिन्दु 34 से 67 तक एक पद एवं चलन दिब्याग के लिए रोस्टर बिन्दु 68 से 100 तक एक पद अर्थात प्रत्येक समूहों में एक–एक दिब्याग के लिए आरक्षित रहेंगे।

08.08.17

अनुमंडल पदाधिकारी
औरंगाबाद

अनुमण्डल कार्यालय, दाउदनगर।

सीधी भर्त्ती के लिए 100 बिन्दु का आदर्श रोस्टर

क्रम	प्रखंड	पंचायत/वार्ड	रोस्टर बिन्दु	रोस्टर कोटि
1	2	3	4	5
1	दाउदनगर	अरई	1	अनारक्षित
2	दाउदनगर	अरई	2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
3	दाउदनगर	अरई	3	अनारक्षित (महिला)
4	दाउदनगर	चौरी	4	अनुसूचित जाति
5	दाउदनगर	कनाप	5	अनारक्षित
6	दाउदनगर	अंकोढ़ा	6	पिछड़ा वर्ग
7	दाउदनगर	महावर	7	अनारक्षित
8	दाउदनगर	तरार	8	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)
9	दाउदनगर	तरार	9	अनारक्षित (महिला)
10	दाउदनगर	सिंदुआर	10	अनुसूचित जाति (महिला)
11	दाउदनगर	मनार	11	अनारक्षित
12	दाउदनगर	तरारी	12	पिछड़ा वर्ग महिला
13	दाउदनगर	तरारी	13	अनारक्षित
14	दाउदनगर	बेलवॉ	14	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
15	दाउदनगर	अंछा	15	अनारक्षित (महिला)
16	दाउदनगर	अंछा	16	अनुसूचित जाति
17	दाउदनगर	कर्मा	17	अनारक्षित
18	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–1	18	पिछड़ा वर्ग महिला
19	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–2	19	अनारक्षित
20	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–3	20	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
21	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–6	21	अनारक्षित (महिला)
22	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–8	22	पिछड़ा वर्ग
23	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–12	23	अनारक्षित
24	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–14	24	अनुसूचित जाति (महिला)
25	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–15	25	अनारक्षित
26	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–16	26	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)
27	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–17	27	अनारक्षित (महिला)
28	नगर पंचायत दाउदनगर	वार्ड नं0–19	28	अनुसूचित जाति
29	हसपुरा	पीरू	29	अनारक्षित
30	हसपुरा	पीरू	30	पिछड़ा वर्ग
31	हसपुरा	पुरहारा	31	अनारक्षित
32	हसपुरा	डिंडिर	32	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
33	हसपुरा	डुमरा	33	अनारक्षित (महिला)
34	हसपुरा	जैतपुर	34	अनुसूचित जाति
35	हसपुरा	कोईलवॉ	35	अनारक्षित
36	हसपुरा	कोईलवॉ	36	अ0 पिछड़ा वर्ग

37	गोह	हथियारा	37	अनारक्षित
38	गोह	हथियारा	38	पिछड़ा वर्ग महिला
39	गोह	बनतारा	39	अनारक्षित (महिला)
40	गोह	बनतारा	40	अनुसूचित जाति (महिला)
41	गोह	उपहारा	41	अनारक्षित
42	गोह	उपहारा	42	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)
43	गोह	हसामपुर	43	अनारक्षित
44	गोह	तेयाप	44	अनुसूचित जन जाति
45	गोह	तेयाप	45	अनारक्षित (महिला)
46	गोह	मिरपुर	46	पिछड़ा वर्ग
47	गोह	मिरपुर	47	अनारक्षित
48	गोह	मिरपुर	48	अनुसूचित जाति
49	गोह	अगारी	49	अनारक्षित (महिला)
50	गोह	अगारी	50	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
51	गोह	अगारी	51	अनारक्षित
52	गोह	बाजार वर्मा	52	पिछड़ा वर्ग महिला
53	गोह	बाजार वर्मा	53	अनारक्षित
54	गोह	बाजार वर्मा	54	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
55	गोह	बेरका	55	अनारक्षित (महिला)
56	गोह	दधपी	56	अनुसूचित जाति
57	गोह	दधपी	57	अनारक्षित
58	गोह	देवहरा	58	पिछड़ा वग
59	गोह	देवहरा	59	अनारक्षित
60	गोह	फाग	60	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)
61	गोह	डिहुरी	61	अनारक्षित (महिला)
62	गोह	मलहद	62	अनुसूचित जाति (महिला)
63	गोह	बक्सर	63	अनारक्षित
64	गोह	चापुक	64	पिछडा वर्ग महिला
65	गोह	झिकटियाँ	65	अनारक्षित
66	गोह	झिकटियाँ	66	अत्यत पिछडा वर्ग
67	गोह	झिकटियाँ	67	अनारक्षित (महिला)
68	ओबरा	तेजपुरा	68	अनुसूचित जाति
69	ओबरा	कचनपुर	69	अनारक्षित
70	ओबरा	कचनपुर	70	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
71	ओबरा	उब	71	अनारक्षित
72	ओबरा	उब	72	पिछड़ा वर्ग
73	ओबरा	उब	73	अनारक्षित (महिला)
74	ओबरा	भरूब	74	अनुसूचित जाति
75	ओबरा	चदा	75	अनारक्षित
76	ओबरा	गैनी	76	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)
77	ओबरा	खुदवाँ	77	अनारक्षित
78	ओबरा	खुदवाँ	78	अनुसूचित जाति (महिला)

79	ओबरा	खुदवॉ	79	अनारक्षित (महिला)
80	ओबरा	महुऑव	80	पिछड़ा वर्ग
81	ओबरा	रतनपुर	81	अनारक्षित
82	ओबरा	बभनडीहा	82	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
83	ओबरा	बभनडीहा	83	अनारक्षित
84	ओबरा	कारा	84	पिछड़ा वर्ग महिला
85	ओबरा	कारा	85	अनारक्षित (महिला)
86	ओबरा	सरसौली	86	अनुसूचित जाति
87	ओबरा	सरसौली	87	अनारक्षित
88	ओबरा	सरसौली	88	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
89	ओबरा	करसॉव	89	अनारक्षित
90	ओबरा	बेल	90	पिछड़ा वर्ग (महिला)

नोटः— बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0 11/आ0नि0–03/2002 का0 502, दिनांक– 02.11.2002 से उपरोक्त रोस्टर में दिव्यांगों के लिए 100 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर में रोस्टर बिन्दु 1 से 33 तक, 34 से 67 तक एवं 68 से 100 तक तीन समूह माने जाएंगे तथा प्रत्येक समूह मे एक–एक दिव्यांग की नियुक्ति की जाएगी।

ह0/- /18

अनुमण्डल पदाधिकारी
दाउदनगर।

अनुसूची – 1

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

1. **आवेदक की विशिष्टियाँ –**
   (क) नाम
   (ख) पिता/पति का नाम
   (ग) शैक्षणिक योग्यता
   (घ) उम्र
   (ङ) स्थायी तथा वर्त्तमान पता
   (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई–मेल पता के साथ)
   (च) कम्प्यूटर ज्ञान
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
   व्यवसाय स्थल का विवरण
   (क) मकान / दुकान संख्या :
   (ख) होल्डिंग नं0 :
   (ग) क्षेत्रफल :
   (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   (ङ) चौहद्दी :
   (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   (छ) ग्राम / शहर :
   (ज) थाना :
   (झ) जिला
3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है ?

12. क्या आवेदक किसी आटा–चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?

13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद् का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद्द्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

" बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची – 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (सहकारी समितियों, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों, महिला सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए)

आवेदक का अभिप्रमाणित फोटो

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम ....
एवं कार्यालय का पता

1. **सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ**
   (क) नाम एवं प्रकार :
   (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
   (स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
   (ग) कार्यालय का पता :
   (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
   (ङ) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों की विवरण :
   (निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
   (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. **उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके के लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-**
3. **सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-**
   (क) नाम :
   (ख) पिता/पति का नाम :
   (ग) स्थायी पता :
   (घ) पत्राचार का पता :
   (ङ) फोन नं0/मोबाईल नं0/ :
   ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. **व्यवसाय स्थल का विवरण :-**
   (क) मकान / दुकान संख्या :
   (ख) होल्डिंग नं0 :
   (ग) क्षेत्रफल :
   (घ) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   (ड़) चौहद्दी :
   (च) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   (छ) ग्राम / शहर :
   (ज) थाना :
   (झ) जिला :
   (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि सहयोग समिति या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें

8. सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :–
(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं .... एतद्द्वारा .... की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक.......................... को पारित प्रस्ताव संख्या..................द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि ....की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है ।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के	आवेदन करने हेतु प्राधिकृत
प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर	व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम	नाम
पदनाम	पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम	सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह का नाम